अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.4(78) पराविभा/पीसी/एमआईएस/2015-16/ ६९१ जयपुर, दिनांक 13/5/17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त

विषय :— इंटीग्रेटेड राज ई—पंचायत सॉफ्टवेयर बाबत निर्देश — 4
संदर्भ :— विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 427 दि. 23.2.17 एवं पत्र क्रमांक 664 दिनांक 21.3.2017

महोदय,

इंटीग्रेटेड राज ई—पंचायत सॉफ्टवेयर का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा आदेश जारी किये गये थे, जिनके अनुसार दिनांक 01.04.2017 से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, भुगतान की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये थे। विभागीय पत्र क्रमांक 664 दिनांक 21.3.17 के बिन्दू संख्या 2 में यह निर्देश दिये गये थे कि "**विकास अधिकारी द्वारा 1.4.17 के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा चैक के माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया जावे एवं समस्त भुगतान ऑनलाईन व्यवहार क आधार पर किये जावे।**"

उल्लेखनीय है कि ई— सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक भुगतान संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा ही की जावेगे, सरपंचो से राशि भुगतान के अधिकार विलोपित नहीं किये गये है। विभागीय पत्र दिनांक 21.3.17 के उपरोक्त निर्देशो को आंशिक संशोधित करते हुये स्पष्ट किया जाता है कि —

1. प्रत्येक पंचायत समिति की 1 ग्राम पंचायत में इस सॉफ्टवेयर को तत्काल लागू किया जावे एवं उपरोक्त संदर्भित पत्रो में दिये गये आदेशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। चयनित पंचायतो में समस्त भुगतान ई—पंचायत सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जावेगा। ग्राम पंचायत का चयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं उप निदेशक, डीओआईटी द्वारा किया जावेगा। चयनित ग्राम पंचायत को छोडकर शेष ग्राम पंचायत में भुगतान की व्यवस्था पूर्व की भांति चैक के माध्यम से यथावत् लागू रहेगी।
2. राज्य की सभी पंचायत समितियों एवं जिला परिषदो में सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन तत्काल लागू किया जावे एवं समस्त वित्तीय प्रबन्धन इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जावे।
3. सॉफ्टवेयर की समीक्षा उपरान्त दिनांक 1.8.17 से शेष ग्राम पंचायतों में इसे लागू किया जावेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(आर.एस. मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त

इंटीग्रेटेड राज ई-पंचायत सॉफ्टवेयर के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत निर्देश – 4

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वैक्तिक सचिव, मा0 मंत्री महोदय, ग्राविपंराज
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंराज।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस
7. जिला कलक्टर, जिला समस्त
8. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
10. ए.सी.पी., पंचायती राज को बैवसाईट पर अपलोड हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता